

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

गोरधन


किस्म प्रकरण : वादपत्र

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

ओमप्रकाश वगैरह

मुकदमा नं. 135 /2023

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 11.08.2023 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये हैं। साथ ही प्रकरण में हिदायत के साथ अन्तिम अवसर सीपीसी प्रावधानुसार कार्यवाही की जाने की हिदायत के साथ दिनांक 17.11.2025 को प्रदत्त किया गया। परन्तु वकील वादी ने प्रकरण हाजा में आदिनांक तक तलबी नहीं कराई है तथा ना ही साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक करवाई गई है।</p> <p>अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 53, 188 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	